न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 87/2014 **दायरा दिनांक : 22.04.2014**

उनवान

गोरधन पुत्र किशना, जाति चमार, निवासी खुरी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा,

2— गेन्दीलाल पुत्र दल्ला मृतक जर्ये कायम मुकामान :—

2/1— बाबू पुत्र गेन्दीलाल, जाति चमार, निवासी खुरी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

3— नारान पुत्र दल्ला मृतक जर्ये कायम मुकामान :—

3/1— प्रताप पुत्र नारान जाति चमार, निवासी खुरी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

3/2— बाबू पुत्र नारान, जाति चमार, निवासी खुरी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

3/3— नन्दा पुत्र नारान, जाति चमार, निवासी खुरी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

4— छोटू पुत्र दल्ला, जाति चमार, निवासी खुरी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

5— जमना लाल पुत्र गेन्दी लाल, जाति चमार, निवासी खुरी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 26.03.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या — 37/प्रार्थना पत्र/83 निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2001 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार के द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 42 व 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि प्रतिवादी नम्बर 1 अनुसूचित जाति के सदस्य हैं और प्रतिवादी संख्या 2 अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं । प्रतिवादी नम्बर 1 ने दिनांक 22.05.75 को एक विक्रय पत्र आराजी खसरा नम्बर 298 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 299 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा के लिए प्रतिवादी नम्बर 2 के पक्ष में निष्पादन कर कब्जा संभलाया है । यह विक्रय धारा 42 के उल्लंघन में है । अतः वादग्रस्त आराजी को सिवाय चक दर्ज किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए दावा स्वीकार किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट ने अपने हिस्से का बेचान नहीं किया है न ही कोई विक्रय पत्र पेश हुआ है । एक तरफा निर्णय पारित किया है, जो अवैध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 12.02.2014 को गांव जाने पर हुई । जानकारी होने पर नकल प्राप्त की गई । नकल प्राप्त होने से अपील अवधि मध्य मानी जाये व विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट की विधि सम्मत तामील नहीं हुई है । अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं मिला है । अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी का विक्रय नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपील गम्भीर रूप से अवधि बाधित है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया गया है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार के द्वारा दावा पेश होने के बाद उसका जवाब प्रतिवादी नम्बर 2 के द्वारा पेश किया गया है । अपील अपीलांट गोरधन के द्वारा पेश की गई है । अधीनस्थ न्यायालय में गोरधन के खिलाफ दिनांक 16.09.1997 को एक तरफा कार्यवाही की गई है । गोरधन को जारी किये गये नोटिस का अवलोकन किया

गया । सन् 1985 में जो नोटिस गोरधन के लिए जारी किया गया है उसके पृष्ठ भाग में यह अंकित है कि गोरधन खुरी में नहीं रहता है, कोटा में रहता है और दिनांक 20.05.1997 को जो नोटिस जारी हुआ है उसके पृष्ठ भाग में गोरधन को एक प्रति देकर तामील कराया जाना अंकित है परन्तु इसमें गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है और यह नोटिस भी गोरधन के खुरी के पता पर ही जारी किया गया है । तामील रिपोर्ट पर तहसील का पृष्ठांकन भी नहीं है । इस प्रकार यह तामील सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार विधिक नहीं है ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पत्रावली में गवाहों के रूप में जमना लाल डी डब्ल्यू 1, कजोड डी डब्ल्यू 2 के बयान शामिल है परन्तु सरकार की ओर से किसी के बयान नहीं हो पाये हैं । सरकारी की ओर से पैरोकार सरकार को शहादत पेश करने के लिए कई अवसर दिये गये परन्तु उन्होंने शहादत पेश नहीं की जो उचित नहीं है ।

जो विक्रय पत्र पेश किया गया है वह प्रमाणित प्रति पेश नहीं की गई है वरन एक फोटो प्रति पेश की गई है जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है ।

पत्रावली की आदेशिका दिनांक 20.01.1996 के अनुसार तनकी कायम की गई और पैरोकार सरकार के इस कथन पर कि दस्तावेजात शहादत है उनकी शहादत बन्द की गई जबकि वादी की ओर से पेश किये गये दस्तावेजात को वादी द्वारा स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर एक्जीविट करवाया जाना आवश्यक होता है और दिनांक 15.01.1992 को प्रतिवादी के गवाह डी डब्ल्यू 1 और डी डब्ल्यू 2 लिये गये हैं इनके द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात को एक्जीविट पी 1 व पी 2

नम्बर दिया गया है । एक्जीविट पी 1 प्रमाणित प्रति नहीं होकर फोटो प्रति है जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है इसके उपरान्त पत्रावली को पुनः दिनांक 02.11.1992 को तलबी में डाला गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सी पी सी एवं विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है जो कि विधि सम्मत नहीं है । निर्णय भी तनकीवार पारित नहीं किया गया है । चूंकि अपीलांट की विधि सम्मत रूप से तामील नहीं हुई है इसलिए मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2001 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट एवं अन्य प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.05.2018 को उपस्थित होवें।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा